वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी जा रही है (नीचे देखिए)।

(ख) किसी राज्य में निवल जमाराशि का 75 प्रतिशत उस राज्यों को राज्य योजना के वित्तीय के लिए दीर्घकालिक ऋण के रूप में अग्रिम के रूप में दिया जाता है।

विवरण

लघु बचत योजनाएं मुख्यतया डाकघरों द्वारा संचालित की जाती है, न कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जमा की गई राशि इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपए)

	1993-94	1994-95	1995-96
पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य
हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य
हिमाचल प्रदेश	शून्य	490	शून्य

490 करोड़ रुपए का ब्यौरा इस प्रकार है:—

भारतीय यूनिट ट्रस्ट	190
राष्ट्रीयकृत बैंक	250
भारतीय जीवन बीमा निगम	50

हिमाचल प्रदेश में निजी हवाई टैक्सियों द्वारा लिया जाने वाला किराया

308. **श्री महेश्वर सिंह**: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निजी हवाई टैक्सियों द्वारा हिमाचल प्रदेश में लिए जा रहे किराये को घटाने के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य जन-प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहिम): (क) और (ख) जी, हां। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने विमान किरायों में आर्थिक सहायता का अनुरोध किया है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

(ग) एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार कोई भी किराया प्रभारित करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार, किसी भी सैक्टर में किरायों को कम करने के लिए किसी भी एयरलाइन को कोई आर्थिक सहायता नहीं दे रही है।

Night Landing Facilities at Visakhapatnam Airport

309. DR. Y. LAKHMI PRASAD: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to create Night Landing Facilities at Visakhapatnam Airport.

(b) whether there is any proposal to upgrade the air strip to enable air bus plane to land at Visakhapatnam Airport; and

(c) whether there is any proposal to make Visakhapatnam Airport as International Airport to make Visakhapatnam a gate-way of business to South-East Asian Countries, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.. M. IBRAHIM): (a) No. Sir.

(b) No, Sir. Because of the obstructions around the airport it is not possible to upgrade the airport facilities any further.

(c) Government of Andhra Pradesh has plans to develop a new airport at Visakhapatnam with private participation. Airports Authority of India has prepared a feasibility report on the development of a new airport at a site 45 kms. from Visakhapatnam at the request of the State Government.

Ban on creation of Posts in Group 'C' and Group 'D' Cadres.

310. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) Whether there is still a ban imposed by the Central Government on

creation of posts and for recruitment to Group 'C' and Group 'D' cadres since January, 1984 on account of which employees are feeling over worked to the tune of 33 per cent.

(b) whether the Central Government propose to grant any interim relief to its employees pending submission of report by the Fifth Pay Commission; and

(c) if so, when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) There is no ban on either creation of Group 'C' and 'D' posts or on recruitment to these posts. However, as a part of economy measures, instructions were issued in May, 1993 to the effect that posts which are laying vacant for one year or more shall be deemed to be abolished and, if needed, could be recreated after following the prescribed procedure for creation of posts.

(b) and (c) The matter is under consideration.

Transfer policy of the Judges of High Court

311. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to review the transfer policy of the Judges of the High Court;

(b) if so, the details of the proposal; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPTT. OF LEGAL AFFAIRS, LEGISLATIVE DEPTT. AND DEPTT. OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) to (c) The Government have accepted as a policy the recommendations of the Law Commission in its 80th Report that there should be a convention according to which 1/3rd of Judges in each High Court should be from any other State. The Government have decided that this may be implemented either by making initial appointments from outside or by effecting transfers. Pursuant to this policy, transfer/appointment of Judges and Chief Justices of the High Courts are being made on the recommendation of the Chief Justice of India.

At present no change in the above policy is contemplated.

आयकर के रूप में बकाया धनराशि

312. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन पर आयकर के रूप में एक लाख या अधिक रुपये की धनराशि बकाया है;

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन पर आयकर के रूप में एक करोड़ या अधिक रुपये की धनराशि बकाया है; और

(ग) आयकर के रूप में वसूल की जाने वाली कुल कितनी धनराशि है और इस धनराशि को वसूल करने में विलम्ब होने के क्या कारण है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) दिनांक 31.12.1995 को आयकर के रूप में जिन कर निर्धारितियों के विरुद्ध एक लाख रुपये और इससे अधिक की धनराशि बकाया थी, उनकी संख्या 75688 थी।

(ख) दिनांक 31.12.1995 को आयकर के रूप में जिन कर निर्धारितियों के विरुद्ध एक करोड़ रुपये और इससे अधिक की धनराशि बकाया थी, उनकी संख्या 600 थी।

(ग) वित्तीय वर्ष 1995-96 के अन्त में निगम कर और आयकर की कुल बकाया मांग 28987.14 करोड़ रु० थी। मांग के बकाया होने के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं:—

(i) मांग का देय न होना।

(ii) ऐसी मांग जिसका भुगतान किए जाने का दावा किया गया हो परन्तु उसका सत्यापन न हुआ हो।

(iii) न्यायालयों समझौता आयोग, न्यायाधिकरण और आयकर प्राधिकारियों द्वारा स्थगित मांग।